ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14 Vol-5, No.-II,PP-1-3, YEAR-Dec.2016

नारीवाद विचारधाराः भारत के संदर्भ में प्रजनन सम्बन्धी अधिकार

❑ Dr. Neelam Chourey

यह एक सामान्य विश्वास है कि महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों की परिणिति महिलाओं की मुक्ति में हो सकती हैं। वर्तमान समय में, नारीवाद एक जीवन और परिलक्षित सामाजिक आन्दोलन है, सांस्कृतिक रचनात्मकता के क्षेत्र में विश्व रूप सफल.....। डेविड जेरी एवं जुकिया जेल।

प्रस्तावनाः–

जब हम पलटकर देखते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में आर्श्चजनक परिवर्तन लाने का श्रेय नारीवादी सिद्धान्तों को जाता है। नारीवाद शब्द का प्रयोग सामान्यतः उस विचारधारा (Ideology) और आन्दोलन (Movement) से लगाया जाता है जिसका उद्देश्य शताब्दियों से चले आ रहे पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को मुक्ति दिलाना है। वैसे यह बात सोचने वाली है कि मुक्ति किससे? लेकिन इस बात पर विविधता की भी कम ही गुंजाइस है कि हमेशा की तरह नारी को समाज में निम्नतर प्राणी समझा जाता है। नारीवाद आन्दोलन समाज में समकालीन नारी की अधीनस्थ और अवपीड़ित स्थिति को समाप्त कर समानता स्थान दिलाना चाहता हैं।

नारीवाद महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझाने कि दिशा में प्रयासरत् एक विचारधारा है। नारीवाद शब्द का प्रयोग सन् 1890 के बाद आम हुआ। इसके समर्थकों का मानना है कि नारी की निम्न स्थिति के लिए पितृ सत्ता एक बड़ा समाजिक कारक है। जिसके द्वारा पुरूष ने स्त्री पर शासन किया है। यह आन्दोलन मानता है कि पितृ संरचना के चलते पुरूष प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को एकजुट होना चाहिए और अधीनता को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी लिंग आन्दोलन चलाना चाहिए।

मोटेतौर पर नारीवाद वह विचारधारा है जो नारी को उसका खोया हुआ स्थान व प्रतिष्ठा वापस दिलाने की पक्षधर है भारतीय संदर्भ में प्रजनन सम्बन्धी अधिकार पर चर्चा करेगें।

प्रजनन सम्बन्धी अधिकार क्या है? क्या यह केवल बच्चा पैदा तक ही सीमित है या वे यह भी तय कर सकते है कि उनकों कब और कितने बच्चे पैदा करना है। क्या यह प्रक्रिया सुरक्षित पूर्णरूप होती हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 1970 के दशक प्रारम्भ हुई स्त्री स्वास्थ्य की चर्चा छोटे–छोटे चेतना जागरण समूह के रूप में तब्दील हुई। जिसमें इस चर्चा ने औरतों में अपने शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू किया। धीरे–धीरे यह बहु आयामी अभिमानों में बदल गए जिन्होंने, कई देशों में स्वास्थ्य नीतियों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया।

प्रजनन सम्बन्धी स्वतन्त्रता का महत्वपूर्ण पक्ष है औरतों के शरीर और यौनिकता पर किसका हक नियन्त्रण में है। पुरूष का परिवार का समाज का या फिर राज्य का पुरूष सहवास के लिए मजबूर करना, समाज का अपनी परम्पराओं को मानने व अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करने को

Associate Professor, Political Science, M.G.C.G.V., Chitrakoot, Satna (M.P.)

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

मजबूर करना। राज्य को नसबन्दी, परिवार नियोजन के लिए मजबूर करना।

जब औरत का अपने शरीर पर नियन्त्रण नहीं होता जब उसके शरीर पर उसकी मर्जी के खिलाफ कबजा किया जाता है। जब उसके चयन के अवसर व्यक्तिगत पसंद की बजाय समाजिक नियमों के द्वारा तप होते है तो वह मुमकिन वही कि वह निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सके, चाहें वह घरेलू स्तर के छोटे निर्णय या तो सामाजिक स्तर के बड़े निर्णय हों।

प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के हक में संघर्ष के नतीजे के तौर पर दुनिया के बहुत हिस्सों में गर्भनिरोधकों के उनके अधिकार को मान्यता मिली है। अभी भी महिलाओं को असानी से गर्भनिरोधक नहीं मिलते हैं जो सस्ते व दुष्प्रभावों से मुक्त हों। भारतीय संस्कृतियों में मातृत्व को गौरावन्वित किया जाता है और निःसंतान को अभिशाप समझा जाता है। गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल को सार्वजनिक मान्यता प्राप्त नहीं है। जहाँ एक तरफ भारत में पारम्परिक सामंती समाज ने औरत की जिन्दगी के हर पहलू को नियमों से बाँधने की कोशिश की है। औरतों की प्रजनन क्षमता को परिभाषित करने में धर्म,जाति, सांस्कृतिक मूल्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ग विभाजन (आर्थिक आधार पर) ने नई विषमताओं को जन्म दिया है। जिससे औरतों के स्वास्थ्य पर सीधे असर पड़ा है। औपनिवेशिक काल में भारत के स्वदेशी उपचार, स्वदेशी स्वास्थ्य प्रणालियों को मृत ..... कर दिया उसके स्थान पर पश्चिमी औषधियों को बढ़ावा दिया। आर्थिक उदारी करण वर्तमान दौर ने अस एलोपैथी का नया जीवन संचार किया है। तथा ये भारतीय बाजार व जनता का शोषण कर रहीं है। ऐसी स्थिति में जब औरतों को साफ पेय जल, जीवन जीनें की मूल सुविधाएं, स्वास्थ्य, घर, शिक्षा तक उपलब्ध नहीं है।

जहाँ समाज तय करता है वह पढ़ेगी या नहीं, शादी किससे करेगी, किसके साथ रहेगी, राज्य तय करता है कि उसको कितने बच्चे पैदा करना है? कब नसबन्दी करवाना है? कौन सा गर्भनिरोधक चुनना है वहाँ प्रजनन सम्बन्धी अधिकार तो दूर की बात है। पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा तब प्रजनन की चर्चा होगी।

आजादी के बाद जनसंख्या वृद्धि को विकास के मार्ग में सबसे बाधक तत्व माना गया। इसी कारण से 1960 के दशक से ही औंरतों के जीवन में राज्य का हस्ताक्षेप बढ़ा। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान न देकर जनसंख्या नियन्त्रण मुख्य मुद्दा बना। स्वतन्त्र भारत में गर्भनिरोधकों व गर्भधारण सम्बन्धी सेवाओं पर नीति निर्धारकों द्वारा यह प्रचार–प्रसार किया जाता है कि स्त्री मष्त्यु गर्भाधारण से होती है। जब हम देखते हैं कि गर्भाधारण की आयु वाली महिलाओं में 30 प्रतिशत मृत्यु कुपोषण, छूत की बीमारियाँ, रक्त की कमी, क्षयरोग आदि के कारण होती है।

नीति निर्धारक कभी भी यह स्वीकार नहीं करते हैं कि औरतों की आवस्था के सामाजिक कारक है न कि जीव वैज्ञानिक।

उदाहरण:–

महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम की मजदूरी उनको नहीं दी जाती है। उन्हें एक ऐसी उत्पादक के रूप नही देखा जाता है, जिसको स्वस्थ्य रहना जरूरी है। इसलिए उन्हे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता है। अधिकतर युवतियाँ कुपोषण के षिकार होती हैं और विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को निभाती रहती हैं।

जनसंख्या नियन्त्रण के लिए अपनाये जाने वाले स्वास्थ्य विरोधी (कॉपर टी जैसे आई0यू0दष0 डी0 गर्भनिरोधक गोलियां) अपनाने के लिए विभिन्न

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

प्रकार के प्रचार किये जाते हैं। पुरूषों को गर्भनिरोधक कण्डोम उपयोग करने के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या नियन्त्रण प्रतिष्ठान और हॉर्मोन्स युक्त गर्भनिरोधक बनाने वाली औषधि कम्पनी के बीच गठजोड़ तय कर देता है कि डायफ्रॉम और सर्वायकल कैप जैसे सस्ते गर्भनिरोधक उपाय भारत में उपलब्ध न हों।

स्वास्थ्य विरोधी गर्भारोधकों के विरूद्ध लडाई:–

1980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में महिला संगठनों को हॉर्मोन्स युक्त गर्भनिरोधकों के अनैतिक परीक्षण का पता चला और जो महिला स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् **(I.C.M.R.)** जो भारत का अग्रणी वैज्ञानिक संस्थान है पता लगा रहा था कि सुई, द्वारा दिया जाने वाला (इन्जेक्टेबल) गर्भनिरोधक नेट–एन किस हद तक देश में स्वीकार होगा। परिवार कल्याण कार्यक्रमों में इसे शामिल किया जाए या नहीं अध्ययन किया जा रहा था। औरतों को इसकी जानकारी दिए बिना (गरीब व निरक्षर औरतें) उन पर प्रयोग किया गया। इन्जेक्टेबल गर्भनिरोधक, अनचाहे गर्भ की समस्या का जादुई समाधान था। किन्तु औरतों के गर्भनिरोधकों निजी जरूरतों का राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को साधन के हित ऐसा दोहन चिकित्सकीय, नैतिक और सामाजिक पट पूरी तरह आमान्य है। हॉर्मोन्स युक्त गर्भनिरोधकों के उपयोग में कड़ी चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता होती है। किन्तु भारतीय स्वास्थ्य सेवा की हालत को देखते हुए खास तौर से अस्पतालों, छोटो सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं मुहैया कराना असम्भव है। इसके अलावा मनुष्यों पर हॉर्मोन्स आधारित गर्भनिरोधकों के क्या दूरगामी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसकी अपर्याप्त जानकारी का मुद्दा अहम है। पशुओं पर किए गए अध्ययनों ने यह सिद्ध किया की इन उपायों से सर्वायकाल कैंसर, छाती में गांठों और एड़ोंमेट्रियल (गर्भाशय अन्दरूनी पर्त) कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। फिर भी सकरकार इसे औरतों के लिए आदर्श गर्भनिरोधक बतला रही है। गर्भनिरोधक गोलियों को छोंड़कर सभी हॉर्मोन्स आधारित गर्भनिरोधक जैसे नेट–एन या डेपों प्रोवेश जैसी सुईया, नॉरप्लॉट या नाक में छिड़कने वाले स्प्रे का असर लम्बें समय तक प्रभावी रहतें हैं। आस लिए अगर औरत गर्भनिरोधक इस्तेमाल बन्द कर दे और बच्चा चाहे तब भी इनका असर रहेगा।

नारी मुक्ति आन्दोलनों का प्रभावः–

नारीमुक्ति आन्दोलनों ने गर्भनिरोधकों के मामले में पुरूषों की जिम्मेदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। कण्डोम का इस्तेमाल न केवल गर्भ से रक्षा करता है बल्कि एच0आई0बी0 एड्स से भी बचाता है। अतः इसके उपयोग में लोकप्रियता लाई जाये एवं इसकी दरें सस्ती हों।

- औरत मर्द के रिस्ते में आमूल–चूक परिवर्तन जरूरी निश्चित किया।
- भारत में गर्भ चिकित्सकीय अंत अधिनियम गर्भपात कानूनी घोषित किया गया किन्तु आज की सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध नही है।
- असुरक्षित गर्भपात प्रजनन योग औरतों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

भारत में नारी मुक्ति आन्दोलना ने वैज्ञानिक अनुसंधान से आदर्श गर्भनिरोधकों की तलाश से स्वास्थ्य को प्रस्तुत खतरों की जानकारी और उनसे सुरक्षा के अधिकार उभारा है। महिला संगठनों ने इस बात का जोर विरोध किया है कि भारत व तीसरी दुनिया के देशों की महिलाओं पर किए जाने वाले चिकित्सकीय परीक्षण के अधिक कड़े नियम बनाने पर जोर दिया है।

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

निष्कर्षः—

प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य को इन शब्दों में परिभाषित किया कि 'यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों में अपने प्रजनन का और प्रजनन क्षमता के नियमन की क्षमता हो। औरतें सुरक्षित गर्भावस्था व प्रसव में समर्थ हों जच्चा व बच्चा की दृष्टि से गर्भावस्था का परिणाम सफल हो और दोनों स्वस्थ्य व सुरखित हों और दोनो स्वस्थ्य व सुरक्षित हों और दम्पती गर्भधारण करने और बीमारी के संक्रमण के भय से मुक्त यौन सम्बन्ध स्थापित कर सकें।' लेकिन ऐसी दुनिया जहां औरतों के अधिकार इतने कम हों जहां अपने शरीर व यौनिकता पर उनका नियंत्रण जहां राज्य तय करेगा कि वह बच्चे पैदा करेगी या नही, और कितने शरीर व यौनिकता पर उनका नियन्त्रण जहां राज्य तय करेगा कि वह बच्चे पैदा करेगी या नही, और कितने बच्चे पैदा करेगी। जहां उदारीकरण, सामाजिक क्षेत्रों की कटौती, घटते रोजगार के अवसर, कम होती खाद्य सामग्री, सुरक्षा व्यवस्थाएं औरतों पर सबसे कड़ा प्रहार करती हैं। स्पष्ट है कि प्रजनन सम्बन्धी अधिकार की चर्चा इनके बिना नहीं की जा सकती है।

परिवार और समाज के स्तर पर प्रजनन सम्बन्धी से निबटने का एक मात्र तरीका है आरै वह है औरतें अपनी जरूरतों को व्यापक नजरिये से समझें। इसी प्रकार नीति के सम्बन्ध में भी है कि नीति निर्धारक समझे कि प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य, आम स्वास्थ्य और सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के अर्न्तसम्बन्धों को स्वीकार करें। राज्य व वित्तीय सहयोग देने वाली एजेन्सियां प्रजनन स्वास्थ्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते समय औरतों की जनन शीलता को नियंत्रित करने की बात करते हैं ऐसे में वो औरत की बात करते हैं मगर औरत के पक्ष में नहीं। इसको रेखांकित करने की जरूरत है। नारी मुक्ति आन्दोलन के लिए जो दशकों से औरतों के प्रजनन सम्बन्धी अधिकार, उनके सामाजिक, आर्थिक अधिकारों के बीच अर्न्तसम्बन्ध मुखर करता रहा है। इस आन्दोलन से एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जाती है, जिसमें सबका शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे जो सबके लिए एक खुशहाल भविष्य की कुन्ज बने।

संदर्भ ग्रन्थः

1. यूनाइटेड नेशन्स प्राबल्म फण्डः द स्टेट ऑफ पापुलेशन 1998।
2. नारीवाद राजनीति संघर्श एवं मुद्दे : 2001 साधना आर्य, निवेदिता मेनन जिमी लोकनीता।
3. सिमोनवऊ : द सेकेण्ड सेक्स।
4. प्रभुदत्त शर्मा : राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त।